

संसदीय डिजिटल ग्रंथालय

वर्ष 1996 में संसद की विभिन्न गतिविधियों के बारे में ऑनलाइन सूचना उपलब्ध कराने तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति के अनुरूप कार्य करने की दृष्टि से भारत के संसद की वेबसाइट शुरू की गयी थी। 14वीं लोक सभा (2004) से लोक सभा के वाद-विवाद और तेरहवीं लोक सभा (1998) से संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों के मूल पाठ लोकसभा होम पेज पर उपलब्ध हैं। इससे पहले वाद विवाद और संसदीय समितियों के प्रतिवेदन संसद ग्रंथालय में केवल भौतिक रूप में उपलब्ध थे।

ऐसे सभी संसदीय दस्तावेज के अभिलेख और संदर्भ की दृष्टि से महत्व को महसूस करते हुए इन सभी दस्तावेज को डिजिटलाइज करने और इन्हे सांसदों, शोधकर्ताओं, मीडिया और अन्य प्रयोक्ताओं के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया।

डिजिटलाइजेशन परियोजना जुलाई, 2012 में शुरू की गयी थी जिसके अंतर्गत निम्नलिखित दस्तावेजों के संग्रह के 40 लाख से अधिक पृष्ठों को डिजिटलाइज किया गया और संसदीय डिजिटल ग्रंथालय पोर्टल पर अपलोड किया गया :

- 68 वर्षों के लोक सभा वाद विवाद, 1 से 17वीं लोक सभा (1952-2020);
- राष्ट्रपति के अभिभाषण तथा बजट भाषण सहित संसदीय समितियों के प्रतिवेदन 1 से 17वीं लोक सभा (1952-2020);
- 1858 से 1952 तक (94 वर्ष) के ऐतिहासिक वाद विवाद जिसमें अन्य के साथ-साथ संविधान सभा, केन्द्रीय विधान सभा तथा अन्तरिम संसद के वाद विवाद भी शामिल हैं जिनके परिणामस्वरूप भारत में आधुनिक संसदीय संस्थाओं का विकास हुआ।
- लोक सभा सचिवालय के चुनिन्दा प्रकाशन।

संसदीय डिजिटल ग्रंथालय eparlib.nic.in पर उपलब्ध है तथा इसका लिंक लोकसभा होमपेज पर भी दिया गया है। यह वेबसाइट प्रयोक्ता अनुकूल है और एक सर्च इंजन की तरह कार्य करती है। इसमें चार लाख से अधिक फाइलें हैं।

माननीय सदस्य और सहायता के लिए कृपया दूरभाष संख्या 23034060 और 23035481 पर संपर्क करें।

